आज दिनांक 20.01.2015 को नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एण्ड एक्सटेंशन टेक्नॉलोजी के अधीन संचालित सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अन्तर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकीनकी प्रबंधक एवं लेखापाल पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु काउंसेलिंग उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर द्वारा आहूत की गई चयन समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार ।

<u>कार्यवाही संख्या–1</u>

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल पद पर नियोजन हेतु आयोजित प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण काउंसेलिंग के पश्चात् ड्राफ्ट मैरिट लिस्ट प्रकाशन के बाद कुल 11 (ग्यारह) दावा/आपत्ति प्राप्त हुआ । नियोजन समिति के सदस्यों द्वारा बिहार सरकार, कृषि विभाग से प्राप्त Business Logic के अनुसार प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	दावा/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं आवेदन आई.डी. संख्या	किये गये दावा/आपत्ति का विवरण	निराकरण किये गये दावा/आपत्ति का विवरण	अभ्युक्ति
1	मो0 फैयाजुद्दीन, आवेदन आई.डी. BTM/0035847	दिनांक 01.11.2014 को बी.टी.एम चयन के क्रम में मूल प्रमाण–पत्रों को प्रदर्श करना था, इसी क्रम में ऑनलाईन आदि करने में साईबर कैफे में मेरे कुछ कागजात खो गये थे । इस बात की जानकारी मैंने आपको दी तो आपने शपथ पूर्वक आवेदन देने का निदेश दिया । श्रीमान् के निदेशानुसार मैंने शपथपूर्वक आवेदन देकर समय की मांग की । श्रीमान् ने 05.11.2014 तक दिखा देने का निदेश दिया । ए.टी.एम. चयन के साक्षात्कार के दिन मैंने बी.टी.एम. संबंधी मूल जैसे–जैसे संबंधित संस्थान से पुनः प्राप्त हुआ दिखा दिया । अब जबकि सामान्य श्रेणी के क्रमांक–17 एवं आरक्षण श्रेणी के क्रमांक 03 अंकित है, मुझे मूल प्रमाण–पत्र 01.11.14 को नहीं दिखाने का दोषी कहकर चिन्हित किया जा रहा है । वास्तविकता वाजिब कारण से मूल कागजात देरी से दिखाना अयोग्यता का सारभूत कारण नहीं हो सकता है । अतः बड़ी कृपा होगी कि मुझे पूरी तरह चयनित घोषित पात्रों की तरह मेरी भी जाँच होनी ही है । अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ न्याय करने की कृपा की जाय ।	काउंसेलिंग के दिन सबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया। ए.टी.एम. के काउंसेलिंग के समय में एक ही अवधि का दो अनुभव प्रमाण–पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर एवं तिथि तथा पत्रांक, दिनांक में विसंगति है । इस लिए दावा आमान्य किया गया है ।	

2	श्री निशांत कुमार आवेदन आई.डी BTM/0033710	मैं निशांत कुमार, पिता–श्री बृज किशोर कुमार, ग्राम–बढ़ौना, प्रखंड–विद्यापतिनगर, जिला–समस्तीपुर बी.टी.एम. पद के लिए आवेदन किया था, जिसमें मेरा मेधा अंक 73.64 प्रतिशत बनता है । जिला कृषि कार्यालय, समस्तीपुर में एस.एम.एस. के पद पर 2 वर्ष 11 माह 22 दिन कार्य किया हूँ । कृषि विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित बी.टी.एम. के नियोजन सूची में 34 क्रमांक पर रामप्रीत सिंह, पिता–राजेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश का कुल मेधा अंक 68.71 है । जबकि बी.टी.एम. पद के लिए काउंसेलिंग हेतु शार्टलिस्ट में 50 आवेदक में रामप्रीत सिंह का नाम नहीं है । क्रमांक 9 पर स्थित अभ्यर्थी को जिविका क्रमांक 17 पर स्थित अभ्यर्थी को बागवानी क्रमांक 21 पर स्थित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर के कार्य अनुभव को मान्यता दिया गया है । जबकि बी.टी.एम. पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं है । दिनांक 26.11.14 को बी.टी.एम. पद के नियोजन हेतु प्रतिक्षा सूची के काउंसेलिंग सूची में क्रमांक– 02 पर मेरा काउंसेलिंग हुआ । अतः उपरोक्त संदर्भ सादर अनुरोध है कि विसंगतियों को दूर कर प्रार्थी के साथ न्याय करने की कृपा करें । इसके लिए श्रीमान का सदैय आभारी रहूँगा ।	1. रामप्रीत सिंह ने अ. पि.व. में आवेदन किया । चूँकि ये उत्तर प्रदेश के हैं । अतः इन्हें आरक्षण कोटि में नहीं रखा गया । ये सामान्य कोटि में कुल प्राप्ति अंक के आधार पर मेधा सूची के साथ जायेंगे तथा इनका अनुभव प्रमाण–पत्र कृषि विभाग बिहार सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा सम्पोषित योजनाओं में नहीं हैं । अतः इनके चयन पर विचार नहीं किया गया । 2. क्रमांक 09 पर अंकित कुमारी पुष्पारानी का अनुभव प्रमाण–पत्र जिला उद्यान कार्यालय, समस्तीपुर में 1 वर्ष 6 माह 4 दिन का है शेष कार्य अनुभव जीविका में है, जो कि कृषि विभाग, बिहार सरकार/भारत सरकार का नहीं है । इसलिए आपत्ति मान्य किया गया । 3. क्रमांक 17 पर अंकित अवधेश कुमार शर्मा का अनुभव उद्यान विभाग का है । इसलिए आपत्ति अमान्य किया गया । 4. क्रमांक 21 पर अंकित मनोज कुमार गुप्ता का अनुभव प्रमाण–पत्र कृषि विभाग बिहार सरकार/भारत सरकार का नहीं है । इसलिए आपत्ति को मान्य किया गया ।	
3	श्री पुष्पेश शुभ्रांशु आवेदन आई.डी. BTM/0013416	मैं पुष्पेश शुभ्रांशु बी.टी.एम. पद पर नियोजन हेतु आवेदन किया था। जिसका आवेदन आई.डी. संख्या BTM/0013416 है । मैं दिनांक 01.11.14 को काउंसेलिंग कराया था । काउंसेलिंग के साथ अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं दिखा सका था जिसका मूल कारण यह था कि मेरे नियंत्री पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी– सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर अवकाश पर थे । विभाग द्वारा प्रकाशित बी.टी.एम. पद का प्रकाशित ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 37 पर है ।	इनका कार्य अनुभव कृषि विभाग बिहार सरकार /भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा संपोषित योजनाओं में नहीं हैं इसलिए दावा अमान्य किया जाता है ।	

		अंकित प्रकाशित सूची के अभ्युक्ति कॉलम में कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र नहीं दिखाया गया है । मुझे दिनांक 10.11.2014 को नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा मिला है । अतः श्रीमान् से आग्रह है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरा अनुभव प्रमाण–पत्र जुड़ने की कृपा करेंगे ।		
4	श्री अमरेश कुमार आवेदन आई.डी. BTM/0006902	कहना है कि बी.टी.एम. के मेधा सूची क्रमांक 21 पर मनोज कुमार गुप्ता का नाम दर्ज, जिसका कार्य अनुभव गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश का है । फिर भी उसके आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया है । जबकि नियमावली के अनुसार कृषि विभाग, बिहार सरकार अथवा भारत सरकार कृषि विभाग द्वारा सम्पोषित संस्थान का ही कार्य अनुभव मान्य होगा । अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे आवेदन का ध्यानपूर्वक देखने के उपरांत उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे ।	क्रमांक 21 पर अंकित मनोज कुमार गुप्ता का अनुभव प्रमाण–पत्र कृषि विभाग, बिहार सरकार /भारत सरकार द्वारा संचालित अथवा संपोषित योजना का नहीं है । इसलिए आपत्ति को मान्य किया गया ।	
5	श्री सजीत कुमार आवेदन आई.डी. AAC/0004731	मैं सजीत कुमार, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल पद के लिए आवेदन किया था, और मेरा नं. प्रखंड तकनीकी प्रबंधक में 53.36 और लेखापाल में 57.65 है । और मेरे से कम नंबर वाले का काउंसेलिंग हो गया है । पर मुझे वक्त रहते इसकी कोई जानकारी नहीं मिला । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरा काउंसेलिंग कार्रवाई जाय।	इन्होनें निर्धारित तिथि को काउंसेलिंग में उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए दावा अमान्य किया गया ।	
6	रश्मि कुमारी आवेदन आई.डी. ATM/0033182	मैंने दिनांक 06.11.14 को ए.टी.एम. पद पर नियोजन हेतु काउंसेलिंग करायी थी । मेरी योग्यता बी.एस.सी. तथा एम.एस.सी. मत्स्यकी (वोकेशनल) है। जिसके प्राप्तांक के आधार पर मुझे शार्ट लिस्ट सूची में 109वां स्थान पर नाम था । अभी श्रीमान द्वारा जारी सूची में मेरा नाम 48वां स्थान पर है । जिसके अभ्युक्ति की खाना में वांछित योग्यता नहीं लिखा हुआ है । मैंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पढ़कर डिग्री हासिल की है । जिसका मान्यता बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है । तो फिर किस आधार पर मुझे	दावाकर्त्ता की डिग्री Bachelor of Science (Vocational) Hons. का है, जो वांछित डिग्री नहीं है । इसलिए दावा अमान्य किया गया है ।	

		वांछित योग्यता नहीं रहने के आधार पर छाँट दिया गया है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे ।		
7	श्री रमण कुमार पासवान, आवेदन आई.डी.सं. AAC/0032140	मैं रमण कुमार पासवान, कृषि विभाग, (नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलोजी) द्वारा संक्षिप्त सूची में नाम चयनित है । कृपया कर अस्वीकृति की जानकारी स्पष्ट करें ।	लेखा प्रबंधन से संबंधित पद पर कार्य करने का उल्लेख नहीं है । इसलिए दावा अमान्य किया गया ।	
8	सविता कुमारी आवेदन आई.डी. AAC/000337	मैं आत्मा परियोजना के तहत लेखापाल के पद पर आवेदन दी थी, और मेरा सत्यापन 04.11.14 को किया गया था । मैं अनुसूचित जाति से हूँ । मेरा मेधा सूची संख्या 20 में नाम अंकित है । प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति में, जो कि इस संस्था में एक बैंक की तरह ही कार्य किया जाता है । और मैं इस संस्था में कैशियर–सह–लेखा का सितम्बर 2006 से अक्टूबर 2009 तक कार्य की हूँ । मेरा अनुभव प्रमाण–पत्र अमान्य किया गया है । इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का समाधान किया जाय ।	अनुभव प्रमाण–पत्र, बिहार सरकार / भारत सरकार / अर्द्धसरकारी /राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशाषी संस्थान / कृषि संबंधी प्रतिष्ठित निजी संस्थान से संबंधित संस्थान का नहीं है । इनका अनुभव प्रमाण–पत्र पैक्स के अध्यक्ष द्वारा निर्गत किया गया है । इसलिए दावा अमान्य किया गया ।	
9	श्री संजीत कुमार ठाकुर, आवेदन आई.डी. सं. AAC/0007206	मैं संजीत कुमार ठाकुर, आत्मा कार्यालय में लेखापाल के पद पर नियोजन हेतु दिनांक 08.11.14 को काउंसेलिंग में भाग लिया था । जिसमें मेरा योग्यता प्रमाण के रूप में I.Com, B.Com, M.Com के साथ भारत सरकार अथवा राज्य सरकार Indian Society of Agribusiness Professionals (ISAP) और State Institute of rural development (SIRD) असाम से लगभग 3 वर्ष 9 महिने का अनुभव है । प्रमाण–पत्र को पुनः निरीक्षण करते हुए निर्णय लेने की कृपा प्रदान की जाय ।	इनका ISAP में लेखा प्रबंधन संबंधी पद पर एवं निर्धारित समय का अनुभव नहीं है । इन्होंने Resource Person के पद पर कार्य किया है । तथा SIRD में लेखा संबंधी पद पर एवं निर्धारित अवधि का कार्य अनुभव नहीं है । इसलिए दावा अमान्य किया गया है ।	
10	श्री विपीन कुमार राय, आवेदन आई.डी. सं. AAC/0010878	मैं विपीन कुमार राय, लेखापाल के पद पर आवेदन किया था । सभी प्रमाण–पत्र सत्य पाया गया । मगर फिर भी मेरे आवेदन को अस्वीकृत किया गया है । अनुरोध है कि सारे दस्तावेज के आलोक में मेरा आवेदन	अनुभव प्रमाण–पत्र बिहार सरकार / भारत सरकार /अर्द्ध सरकारी /राज्य अथवा केन्द्र सरकार अधीन संचालित स्वायत्तशाषी संस्थान /कृषि संबंधी प्रतिष्ठित निजी	

		स्वीकृत करने की कृपा की जाय ।	संस्थान से संबंधित संस्थान का नहीं है । इसलिए दावा अमान्य किया गया ।	
11	श्री रमेश दास आवेदन आई.डी. AAC/0023572	आत्मा कार्यालय द्वारा विज्ञाप्ति नियोजन में मैं लेखापाल के पद पर आवेदन किया था, दिनांक 08.11.14 को भाग लिया हूँ । सूची प्रकाशन प्रारूप में मेरा आवेदन अमान्य किया गया है । मेरी शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम है । मैं दिनांक 14.04.10 से प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर, वैशाली के अधीन विकास मित्र के पद पर संविदा आधारित पदस्थापित हूँ । मैं इस कार्यालय में दिनांक 14. 04.2010 से लगातार विकास मित्र एवं लेखापाल का कार्य करता आ रहा हूँ । जिससे संबंधित पत्रांक 1104, दिनांक 22.07.2014 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करने के बावजूद मेरा आवेदन अमान्य कर दिया गया है । अनुरोध है कि पुनः विचार करते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा की जाय ।	इनका कार्य अनुभव विकास मित्र के पद पर कार्य करने का है । इसलिए दावा अमान्य किया गया ।	

कार्यवाही संख्या–02

दावा/आपत्ति निष्पादन के पश्चात् प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद के लिए 29 अभ्यर्थी, सहायक तकनीकी प्रबंधक पद के लिए 97 अभ्यर्थी एवं लेखापाल पद के लिए 07 अभ्यर्थी का अंतिम मेधा सूची नियोजन हेतु तैयार किया गया ।

कार्यवाही संख्या–03

समस्तीपुर जिला के अन्तर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का कुल स्वीकृत पद–20, सहायक तकनीकी प्रबंधक का कुल स्वीकृत पद–60 एवं लेखापाल का कुल स्वीकृत पद–20 है ।

प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के लिए दोनों चरण मिलाकर कुल 55 अभ्यर्थी काउंसेलिंग में उपस्थित हुए जिसमें दावा/आपत्ति निष्पादन के उपरांत कोटिवार कुल 15 अभ्यर्थी Final Select List के लिए चयनित हुए (सूची संलग्न है) ।

सहायक तकनीकी प्रबंधक के लिए दोनो चरण मिलाकर कुल 126 अभ्यर्थी काउंसेलिंग में उपस्थित हुए । जिसमें दावा/आपत्ति निष्पादन के उपरांत कोटिवार कुल 47 अभ्यर्थी Final Select List के लिए चयनित हुए (सूची संलग्न है) ।

लेखापाल के लिए दोनों चरण मिलाकर कुल 82 अभ्यर्थी काउंसेलिंग में उपस्थित हुए । जिसमें दावा /आपत्ति निष्पादन के उपरांत कोटिवार कुल 07 अभ्यर्थी Final Select List के लिए चयनित हुए (सूची संलग्न है)।

कार्यवाही संख्या–04

बिहार सरकार कृषि विभाग का पत्रांक 112/बामेती, पटना/2013–14/807, दिनांक 30.09.2014 के कंडिका संख्या–12 के अनुसार Final Select List के बाद अंतिम मेधा सूची के शेष अभ्यर्थियों अर्थात प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के 14 अभ्यर्थी, सहायक तकनीकी प्रबंधक के 50 अभ्यर्थी एवं लेखापाल के शुन्य अभ्यर्थी को Final wait List में रखा गया (सूची सलंग्न है) Final Select List में आनेवाले उम्मीदवार के योगदान नहीं करने के स्थिति में Final ~~Select~~ wait List के अभ्यर्थियों को मेधा एवं रोस्टर के अनुसार नियोजन हेतु चयन किया जायेगा ।

कार्यवाही संख्या–05

बिहार सरकार कृषि विभाग का पत्रांक 617, दिनांक 26.08.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये Business Logic के अनुसार –

(i) **एकरारनामा**– संविदा पर नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं संबंधित आत्मा की तरफ से प्रखंड कृषि पदाधिकारी के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा ।

(ii) संविदा के आधार पर चयन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा । कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मुल्यांकन के आधार पर, सेवा मुक्त किया जा सकता है ।

(iii) अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(iv) प्रखंड कृषि पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा को होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष–आत्माशाषी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

(v) संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।

(vi) संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद का होगा ।

(vii) संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व–कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार एवं अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG) द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा । संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व क्षेत्र में आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा ।

(viii) चूँकि उक्त योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी ।

कार्यवाही संख्या–06

बिहार सरकार कृषि विभाग का पत्रांक 918, दिनांक 10.11.2014 के अनुसार–

(i) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल पद के लिए चयनित व्यक्तियों की डिग्री (स्नातक एवं स्नातकोत्तर) को निर्गत करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार/कुल सचिव से उसकी वैधता की जाँच चयन समिति के अध्यक्ष के स्तर से करायी जायेगी ।

(ii) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक तथा लेखापाल पद पर नियोजन के लिए समर्पित किये गये कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के वैध होने का प्रमाण–पत्र, उसे निर्गत करने वाले कार्यालय प्रधान से प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(iii) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल पद के लिए चयनित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जाँच के लिए अधिकतम 60 दिनों का समय दिया जायेगा ।

(iv) उक्त अवधि (60 दिन) के अंदर संबंधित संस्थान / प्राधिकार से संबंधित व्यक्ति के डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की रिर्पोट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में समुचित अवसर देकर उस व्यक्ति का नियोजन समाप्त किया जा सकेगा ।

(v) चयनित उम्मीदवारों से प्रमाण–पत्रों की वैधता संबंधी शपथ पत्र लेकर योगदान कराया जायेगा ।

(vi) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल पदों पर नियोजित व्यक्तियों को उनके डिग्री एवं अनुभव प्रमाण–पत्र के वैधता की जाँच अवधि (60 दिन) के दौरान मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

कार्यवाही संख्या–07

Business Logic के कंडिका 4 के अनुसार परियोजना निदेशक, आत्मा नियोजन प्राधिकार की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे । इसलिए परियोजना निदेशक, आत्मा समस्तीपुर को नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई ।

परियोजना निदेशक, आत्मा, समस्तीपुर ।	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर ।	अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, समस्तीपुर ।	उप विकास आयुक्त समस्तीपुर ।	जिला पदाधिकारी–सह –अध्यक्ष, आत्माशाषी परिषद, समस्तीपुर